प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

31.03.2019 **की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005 **की धारा** 25(3) **के अधीन मानीटरिंगऔर रिपोर्ट**

March, 2019 **माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन**: 111 **और प्राप्त राशि:रु.** 100/-

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	श्री खामचिन नाउलक, अवर सचिव (प्रशा.II)	श्री खामचिन नाउलक, अवर सचिव (प्रशा.I)	श्रीमती कुमार संजीत, अवर सचिव (ओ&एम)	श्रीमती वि□भूति पंजियार, अवर सचिव (ई-गव.)	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (ई-गव.ए)	श्री कुमार संजीत, अवर सचिव (एआरसी)	श्री ग्या प्रसाद, अवर सचिव (एआर-I)	श्री ग्या प्रसाद, अवर सचिव (एआर-II)	श्री धनन्जय कुमार, अवर सचिव (डी&डी-II)	श्री जितेन्द्र सिहवाग, अवर सचिव (डी&डी-I)	श्री जे.के. अम्बवानी, अवर सचिव (आईई&सी-II)	श्रीमती प्रतिभा अहूजा, अवर सचिव (पीजी-सी1)	श्री लक्ष्मी कांता हलदर, अवर सचिव (पीजी-सी2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
धारा 25 (3)													
(क) प्रत्येक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या	48	04	06	01	शून्य	02	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	31	17
(ख) ऐसे विनिर्णयों की संख्या जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिर्णय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या जब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया													
(ग) पुनरीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को निर्दिष्ट अपीलों की संख्या, इन अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ)इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की राशि	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं													
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विकास, सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्य विधान अथवा सामान्य विधि अथवा अन्य किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो													

** विभाग की वेबसाइट http://darpg-grievance.nic.in में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है ।